राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

CIN No. U40101RJ1995SGC009847

अभिरूचि की अभिव्यक्ति(EOI)

पी–एम कुसुम योजना के अन्तर्गत राजस्थान के वितरण निगमों के 33/11 केवी सब स्टेशनों से जुडने वाले किसानों की अनुपयोगी/बंजर भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु

ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001 (राजस्थान)

फोन नंबर– 0141–2229055, 2221650

Email: dspp.kusum@gmail.com; rrec2016@gmail.com;

कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट–ए के अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना अथवा भूमि लीज पर देने के इच्छुक आवेदकों के पंजीकरण हेतु मुख्य बिन्दु

1. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आरआरईसी), राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों के द्वारा चिन्हित 33/11 केवी सब स्टेशनों से जुडने वाले 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु इच्छुक आवेदकों /विकासकर्ताओं से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है जिसमें व्यक्तिगत किसान/किसानों के समूह/सहकारी समितियां/पंचायत/किसान उत्पादक संघ (FPO)/जल उपभोक्ता संघ (WUA) या कोई भी विकासकर्ता भाग ले सकते है।
2. इस योजना क तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु वितरण निगमों के 33/11 केवी सब स्टेशनों व उन पर उपलब्ध क्षमता की सूची **Annexure-A ,B,C** पर उपलब्ध है। जिसकी जानकारी निम्न वेबसाइटों से प्राप्त की जा सकती हैः–
    i. www.energy.rajasthan.gov.in
    ii. www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl
    iii. www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl
    iv. www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl
    v. www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl
    vi. www.energy.rajasthan.gov.in/ruvnl
3. कोई भी भूमि मालिक किसान/उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा जिस विकासकर्ता के साथ भूमि मालिक ने लीज ऐग्रीमेन्ट किया हो आवेदन कर सकता है।
4. पात्र आवेदक आरआरईसी अथवा वितरण निगम की वेबसाईट से योजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश व आवेदन पत्र (प्रपत्र–क) डाउनलोड कर सकते हे अथवा संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त कर निम्न दो विकल्पों हेतु आवेदन कर पंजीकरण करा सकते हैः–
    i. सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु (निजी निवेश)
    ii. भूमि लीज पर देने हेतु (पूँजी की व्यवस्था न होने पर)
5. लीज पर भूमि देने हेतु पंजीकृत आवेदकों की सूची आरआरईसी द्वारा अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।
6. भूमि लीज पर लेकर सौर ऊर्जा सयंत्र लगाने के इच्छुक विकासकर्ता आरआरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध, लीज पर भूमि देने के इच्छुक पंजीकृत आवेदकों से सम्पर्क कर सौर ऊर्जा सयंत्र लगाने हेतु आवेदन कर सकेगें।
7. इस योजना में भाग लेने के इच्छुक पात्र आवेदक को आवेदन **प्रपत्र–क** में वांछित सूचनाऐं भरकर मय आवश्यक दस्तावेज ई–मित्र अथवा अपनी भूमि के नजदीक स्थित 33 केवी सब स्टेशन से सम्बधित सहायक अभियंता कार्यालय में उसे **दिनांक 30.11.2019 से 31.12.2019 तक** जमा करा सकते है।
8. आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करने पर उसे Application ID मिलेगा तथा आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

इच्छुक आवेदकों से प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों से संकलित सूचना को सहायक अभियंता द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की वेबसाइट http://rreclmis.energy.rajasthan.gov.in/kusum.aspx पर नियमित रूप से ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।

सहायक अभियंता कार्यालय हेतु दिशा निर्देशः

- संबधित सहायक अभियंता वितरण निगम/आरआरईसी की वेबसाइट से योजना के क्रियान्वयन से संबधित दिशा निर्देश डाउनलोड करेगे।
- दिशा निर्देशों के अनुसार योजना के प्रचार हेतु संबधित 33 केवी सब स्टेशन के क्षेत्र के पंच, सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रवार बैठक कर योजना के बारें में विधिवत जानकारी देगें।
- सम्बधित अधिशंषी अभियंता भी यह सुनिश्चित करेगे कि सभी चिन्हित सब स्टेशनों पर ऐसी बैठके 30.11.2019 से पूर्व आयोजित कर ली जावे।
- आवेदकों से **प्रपत्र क** एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर रसीद देगें।
- व्यक्तिगत आवेदक की पहचान हेतु आधार कार्ड व राशन कार्ड की कॉपी लेना सुनिश्चित करेंगे।
- अन्य आवेदक होने पर रजिस्ट्रेशन की कॉपी तथा authorization letter लेगें।
- जमीन पर आवेदक के मालिकाना हक एवं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे जमीन की जमाबंदी की कॉपी लेंगे।
- सहायक अभियंता द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एक सब स्टेशन पर आवेदक उसके पार्टनर, डायरेक्टर अथवा उसके परिवार से संबधित कंपनी/व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक आवेदन ना किया जाए।
- सहायक अभियंता द्वारा समस्त सूचना व आवश्यक दस्तावेज आरआरईसी वेबसाइट http://rreclmis.energy.rajasthan.gov.in/kusum.aspx पर अपलोड करने पर प्रत्येक आवेदक को एक Application ID No. मिलेगा। अपलोडिंग करने के बाद ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट अनिवार्य रूप से लेना होगा तथा इसे AEN द्वारा प्रमाणित कर प्रपत्र–क व अन्य दस्तावेजों के साथ संधारण किया जायेगा।
- उक्त Application ID भविष्य में सभी पत्राचार में काम आएगी अतः इस प्रिटआउट की एक कॉपी आवश्यक रूप से आवेदक को उपलब्ध कराए।

इस योजना से सम्बधित विस्तृत जानकारी हेतु अक्षय ऊर्जा निगम के निम्न अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:–

सुनित माथुर महाप्रबन्धक (RE&O), RREC मोबाइल नंबर– 9414265888 Email: dspp.kusum@gmail.com	सुरेन्द्र वशिष्ठ परियोजना प्रबंधक (RE&O), RREC मोबाइल नंबर– 9461561594 Email: dspp.kusum@gmail.com	एनके गुप्ता तकनीकी प्रबंधक (RE&O), RREC मोबाइल नंबर– 9460383358 Email: dspp.kusum@gmail.com

कुसुम योजना से सम्बधित दिशा–निर्देश, नियम एवं शर्ते

1. पृष्ठभूमि

i. भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आफिस मेमोरेंडम दिनांक 08.03.2019 द्वारा किसानों की आय बढाने के उद्देश्य से **''प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान''** कुसुम योजना प्रारंभ की है जिसके क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 22.07.2019 को जारी किए गए।

ii. राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2019 में राज्य में आगामी 3 वर्षो में किसानों की अनुपयोगी/बंजर जमीन पर कुल 2600 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई जिन की स्थापना कुसुम योजना हेतु जारी एम एन आर ई के दिशा निर्देर्शो के अंतर्गत की जाएगी।

iii. इस योजना के कंपोनेंट–ए के अंतर्गत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना वितरण निगमों के 33/11 केवी सब स्टेशनों के नजदीक 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित किसानों की अनुपयोगी/बंजर भूमि पर की जाएगी।

2. सौर ऊर्जा जनरेटर (एसपीजी) के दायित्वः

सौर ऊर्जा जनरेटर (एसपीजी) निम्न कार्यो के लिए जिम्मेदार होगा

i. एसपीजी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि तथा संबंधित आधारभूत संरचना विकसित करने तथा 33/11 केवी सब स्टेशन से सौर ऊर्जा संयंत्र को जोडकर निश्चित समयावधि में चालू करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ii. एसपीजी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापना हेतु आवश्यक भूमि पर प्रोजेक्ट विकासकर्ता को कब्जा अथवा Lease करने हेतु आवश्यक दस्तावेज अथवा लीज एग्रीमेट प्रस्तुत करेगा।

iii. सभी आवश्यक दस्तावेजों का संधारण तथा आवश्यकतानुसार सहमति, मंजूरी एवं परमिट प्राप्त करेगा।

iv. पावर प्रोजेक्ट को लागू कानून, ग्रिड कोड, उपयोगिता, स्थापित प्रथाओं व अनुबंध के नियमों और शर्तो के अनुसार डिजाइन, निर्माण, प्रोजेक्ट पूरा करना तथा परीक्षण उपरांत चालू करना होगा

v. अनुबंध की शर्तो के अनुसार निर्धारित समयावधि में प्रोजेक्ट को चालू कर निर्धारित क्षमता तक वितरण निगम को अनुबंध में निर्धारित अवधि के दौरान लगातार विद्युत आपूर्ति करना।

vi. एसपीजी इंटरकनेक्शन, मीटरिंग, डिलीवरी पॉइंट पर इंटरकनेक्शन सुविधाओं के साथ पावर प्रोजेक्ट को सब स्टेशन से जोडने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा।

vii. पावर प्रोजेक्ट को अनुबंध की अवधि के दौरान अवरोध मुक्त रखेगा

viii. अनुबंध के तहत किए गए समस्त दायित्वों को पूरा करेगा।

ix. एसपीजी आर यू वी एन तथा आर.आर.ई.सी. के साथ सीधे समन्वय और व्यवहार करने और बिजली की आपूर्ति की scheduling प्रेषण और विचलनर व निपटान तंत्र तथा लागू ग्रिड कोड एवं राज्य के कानून की अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।

x. एसपीजी को सौर ऊर्जा संयंत्र को राजस्थान राज्य की लागू नीतियों/नियमों के प्रावधानों के अनुरूप राज्य नोडल एजेंसी में पंजीकरण के बारे में लागू नियमों का पालन करना आवश्यक होगा तथा संबंधित राज्य सौर ऊर्जा नीति के तहत आरआरईसीएल को देय शुल्क के बारे में अपडेट रहना भी एसपीजी की जिम्मेदारी होगी।

3. सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता एवं भूमि की आवश्यकता

i. इस योजना के तहत 0.5 मेगावाट से अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु आवेदन किया जा सकता है।

ii. सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता 2 हैक्टयर प्रति मेगावाट होगी।

iii. कोई भी आवेदक अपनी भूमि के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता तक अथवा वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता में से जो भी कम हो के लिये आवेदन कर सकता है।

4. योजना हेतु पात्रता

i. इस योजना में भाग लेने हेतु किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन जिनके पास स्वंय की अथवा लीज की जमीन है, पात्र होंगे तथा इन्हे सौर ऊर्जा उत्पादक (Solar Power Generator-SPG) माना जाएगा।

ii. किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन आदि स्वंय की अंश पूंजी न होने की स्थिति में प्रोजेक्ट विकसित करने हेतु किसी विकासकर्ता का चुनाव कर सकेंगे तथा भूमि लीज पर देकर भूमि का किराया लीज एग्रीमेंट के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे। इन स्थिति में विकासकर्ता को सौर ऊर्जा उत्पादक (Solar Power Generator-SPG) माना जाएगा। निम्न का चयन विकासकर्ता के रूप में किया जा सकता है:–

1) भारत में कंपनी एक्ट 1956 एवं इसमें समय–समय पर संशोधन के तहत पंजीकृत कंपनियां।
2) ऐसे कंसोर्सियम जिसमें 1 सदस्य लीड मेंबर (51% अंशधारक) के रूप में कार्य करें। एसपीजी के रूप में चयन के बाद इसे कंपनी एक्ट में पंजीकृत कराए।
3) सीमित दायित्व कम्पनी (Limited Liability Company-LLP)
4) रजिस्टर्ड साझेदारी कंपनी (Partnership Company)
5) रजिस्टर्ड प्रोपराइटरशिप कंपनी

5. भूमि की लीज

i. सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना विकासकर्ता द्वारा करने की स्थिति में भूमि मालिक को विकासकर्ता से आपसी सहमति से तय लीज रेंट किराया प्राप्त होगा। किसानों को लीजं रेंट सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

ii. लीज रेंट की राशि रूपए प्रति एकड अथवा भूमि से उत्पादित बिजली की रूपए प्रति यूनिट के रूप में होगी। लीज एग्रीमेंट किसान तथा विकासकर्ता के मध्य आपसी सहमति से तय शर्तो पर होगा वितरण निगम उक्त अनुबंध के विफल होने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

6. वित्तीय योग्यता

i. किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा स्वंय के निवेश से प्रोजेक्ट विकसित करने की स्थिति में किसी वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी।

ii. किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा प्रोजेक्ट को किसी विकासकर्ता के माध्यम से विकसित करने पर विकासकर्ता की नेटवर्थ 1 करोड रू. प्रति मेगावाट होनी चाहिए। विकासकर्ता द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट देना होगा।

7. आवेदन शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोजेक्ट निष्पादन सुरक्षा राशि

आवेदन शुल्कः

आवेदक द्वारा सौर ऊर्जा सयंत्रं के आवेदन हेतु रूपये 5000 प्रति मेगावाट +जी.एस.टी की दर से आवेदन शुल्क प्रबंध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से डिमान्ड ड्राफट के रूप में जमा कराना होगा। (0.5 मेगावाट के लिये 2500 रूपये, 1 मेगावाट के लिये 5000 रूपये, 1.5 मेगावाट के लिये 7500 रूपये, 2 मेगावाट के लिये 10000 रूपये +जी.एस.टी)

धरोहर राशि (EMD):

स्वंय की अंशपूंजी से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के इच्छुक आवेदक/विकासकर्ताओं द्वारा रूपये 100000 (एक लाख रूपये) प्रति मेगावाट की दर से धरोहर राशि जमा करानी होगी। यह राशि प्रबंध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफट अथवा बैंक गारंटी के रूप में देनी होगी। बैंक गांरटी की वैद्यता कम से कम 6 माह होनी चाहिए। इसे सफल आवेदकों को पी पी ए साइन करने के 15 दिन बाद लौटा दिया जायेगा।

प्रोजेक्ट निष्पादन सुरक्षा राशि (PBG):

सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु चयनित एस पी जी को रूपये 500000 प्रति मेगावाट की दर से प्रोजेक्ट निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करानी होगी। यह राशि प्रबंधक निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में देनी होगी तथा इस की वैदयता कम से कम 15 माह होनी चाहिए। पी बी जी को एस पी जी द्वारा प्रोजेक्ट चालू होने के 30 दिन बाद लौटा दिया जायेगा।

8. बिजली की दर

i. यदि किसी सब स्टेशन के लिए आवेदकों द्वारा आवेदन की गई कुल क्षमता वितरण निगम द्वारा उस सब स्टेशन हेतु अधिसूचित क्षमता से कम अथवा बराबर है तो सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली को आर यू वी एन द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा।

ii. यदि किसी ग्रिड सब स्टेशन के लिए आवेदकों द्वारा आवेदन की गई कुल क्षमता वितरण निगमों द्वारा अधिसूचित क्षमता से अधिक है तो सौर ऊर्जा जनरेटर का चयन करने के लिए आरआरईसी द्वारा बोली लगाने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा और ऐसे मामलों में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा निर्धारित दर को रिवर्स निविदा हेतु सीलिंग टैरिफ माना जाएगा।

9. विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु आवेदन एवं चयन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया

i. आरआरईसी के द्वारा कुसुम योजना में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु वितरण निगमों से प्राप्त 33/11 केवी सब स्टेशनों व उन पर सौर ऊर्जा संयंत्रों हेतु अतिरिक्त क्षमता की सूची (Annexure-A ,B,C) आरआरईसी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

ii. उपरोक्त सूची में वर्णित प्रत्येक सब स्टेशन हेतु बिंदु संख्या 4 के अनुसार पात्र आवेदक प्रपत्र–क में वाछिंत सूचनाओं व दस्तावेजों सहित 33 केवी सब स्टेशन से सम्बधित सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करायेगें।

iii. किसी भी एसपीजी को एक 33/11 केवी सब स्टेशन के लिए एक से अधिक आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी एक सब स्टेशन पर एसपीजी अथवा उसके साझेदार अथवा

डायेक्टर अथवा समूह के किसी मेंबर अथवा उससे संबंधित कंपनी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा।

iv. सभी प्राप्त आवेदनों में प्राप्त दर्ज सूचनाओं को 33 केवी सब स्टेशन से सम्बधित सहायक अभियंता द्वारा आरआरईसी की वेबसाइट पर दिनांक 31.12.2019 से पूर्व अपलोड किया जायेगा।

चयन प्रक्रिया

आरआरईसी द्वारा दिनांक 01.12.2019 से 31.12.2019 तक ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का संकलन कर निम्न तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा–

i. सूची–1

ऐसे आवेदकों की सूची जिनके द्वारा किसी एक सब स्टेशन पर आवेदित सोलर क्षमता उस सब स्टेशन हेतु घोषित क्षमता से कम या बराबर है ऐसे आवेदकों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु चयनित घोषित किया जाएगा तथा इनको राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित बेंचमार्क टैरिफ पर LOA जारी किया जायेगा।

इस सूची के सफल आवेदकों को आरआरईसी द्वारा सफल होने की सूचना देने हेतु नोटिफेकशन ऑफ अवार्ड (NOA) जारी किया जायेगा तथा सफल आवेदकों को NOA में वर्णित समयसीमा के भीतर उनको आवेटित सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता के अनुरूप निर्धारित आवेदन शुल्क तथा धरोहर राशि जमा करानी होगी। ऐसा नहीं होने पर उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त आवेदन शुल्क व धरोहर राशि जमा कराने वाले आवेदकों को आरआरईसी द्वारा LOA जारी किया जायेगा।

सफल आवेदकों को निर्धारित प्रोजेक्ट निष्पादन सुरक्षा राशि की बैंक गारंटी व अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति LOA के जारी होने के अधिकतम 2 माह की निर्धारित समय सीमा में जमा कराकर विद्युत क्रय अनुबंध साइन करना होगा।

ii. सूची–2:

ऐसे आवेदकों की सूची जिनके द्वारा सब स्टेशन पर आवेदित सौर ऊर्जा क्षमता उस सब स्टेशन के लिए निर्धारित क्षमता से अधिक है इस स्थिति में आरआरईसी द्वारा एसपीजी का चयन रिवर्स निविदा प्रक्रिया द्वारा 15 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण कर किया जाएगा जिसमें निविदाकर्ता से विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दर से कम दर के प्रस्ताव ऑनलाइन सील बिड के रूप में मांगे जाएंगे तथा सबसे कम प्रस्तावित टैरिफ पर उस सबस्टेशन की निर्धारित क्षमता तक सभी पात्र आवेदकों को LOA जारी किए जाएंगे।

निविदा प्रक्रिया हेतु सूचीबद्व आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क व धरोहर राशि जमा करानी होगी। ऐसा नही करने पर उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की इजाजत नहीं होगी।

iii. सूची–3:

ऐसे किसान/किसानों के समूह/सहकारी समितियां/पंचायत/किसान उत्पादक संगठन (FPO) एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन (WUA) की सूची जो स्वंय सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की स्थिति में नहीं है तथा अपनी भूमि लीज/किराए पर देना चाहते है। ऐसे आवेदक अपनी भूमि को किसी विकासकर्ता को लीज पर दे सकते है तथा विकासकर्ता सूची–2 के आवेदकों के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है।

चयन प्रक्रिया में सफल आवेदकों को LOA जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर रूपये 5,00,000 (पांच लाख रूपये) प्रति मेगावाट की दर से (0.5 मेगावाट के लिये 2,50,000 रूपये, 1 मेगावाट के लिये

5,00,000 रूपये, 1.5 मेगावाट के लिये 7,50,000 रूपये, 2 मेगावाट के लिये 10,00,000 रूपये) प्रोजेक्ट निष्पादन सुरक्षा राशि (PBG) जमा कराकर राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के साथ विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) करना होगा। निर्धारित अवधि में PPA नहीं करने पर LOAनिरस्त कर दिया जायेगा।

10. सौर ऊर्जा संयंत्र का 33 केवी सब स्टेशन से संयोजन

i. इस योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों को 33 केवी सबस्टेशन से 11 केवी लाइन के माध्यम से जोडा जाएगा।

ii. सौर ऊर्जा प्लांट से लेकर 33 केवी ग्रिड सबस्टेशन तक 11 केवी लाइन बनाने का कार्य एसपीजी द्वारा किया जाएगा।

iii. सोलर पावर प्रोजेक्ट से ग्रिड सब स्टेशन तक 11 केवी लाइन बनाने व सब स्टेशन पर Bay तथा संबधित switchgear एवं मीटरिंग संबधित उपकरण एवं कार्य करना एसपीजी की जिम्मेदारी होगी।

iv. वितरण निगमों द्वारा 11 केवी लाइन के निर्माण हेतु एसपीजी को आर ओ डबल्यू (ROW) में मदद की जाएगी।

v. एसपीजी द्वारा वितरण निगम को वितरण तंत्र की स्थापना हेतु नियमानुसार निर्धारित राशि का भुगतान कर 11 केवी तंत्र का निर्माण कराया जा सकता है।

vi. समर्पित 11 केवी लाइन के रखरखाव की जिम्मेदारी एसपीजी की होगी।

vii. एक सब स्टेशन पर एक से अधिक एसपीजी संयुक्त रूप से आपसी सहमति व वितरण निगम की अनुमति से कॉमन प्रसारण तंत्र की स्थापना कर सकेंगें।

viii. एसपीजी को वितरण निगम में संयोजन शुल्क (Connectivity Charges) जमा कराने होंगे।

ix. एसपीजी को ग्रिड कोड व अन्य संबंधित विनियम/अधिनियम की पालना करनी होगी।

11. विद्युत खरीद अनुबंध (Power Purchase Agreement)

i. सीधें/निविदा में चयनित निविदाकर्ता के साथ राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा बिजली की खरीद हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत खरीद अनुबंध किया जाएगा। पीपीए की अवधि व्यावसयिक संचालन तिथि (Commercial Operation Date-COD) से मानी जाएगी।

ii. 25 वर्ष के बाद एसपीजी व वितरण निगम आपसी सहमति से पीपीए की अवधि को बढ़ा सकेंगे।

iii. एसपीजी को भुगतान सुरक्षा के उपाय के रूप में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा लेटर ऑफ क्रेडिट (Letter of Credit-LC) और एसक्रो (ESCROW) अकाउंट की व्यवस्था पीपीए में वर्णित शर्तो के अनुसार की जाएगी।

12. इन सौर ऊर्जा संयंत्रों से खरीदी गई बिजली का उपयोग वितरण निगमों द्वारा आरपीओ की पूर्ति हेतु किया जाएगा।

13. एसपीजी सौर ऊर्जा पर आधारित किसी भी तकनीक को अपनाने के लिए स्वंतत्र होगा। पंरतु केवल गुणवत्ता प्रणाली स्थापित हो यह सुनिचित करने के लिए सोलर मॉडयूल, इर्न्वटर, BOS एवं अन्य उपकरणों हेतु MNRE/BIS के प्रचलित मापदडों एवं मानकों का पालन किया जाएगा।

14. वितरण निगम उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिए सोलर उत्पादन संयंत्र की घोषित क्षमता में वृद्वि के लिए उपलब्ध किसी भी स्कीम के अंतर्गत सोलर संयंत्र की स्थापना कर सकेंगे।

15. योजना के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली को खरीदना वितरण निगमों के लिए बाध्यकारी होगा।

16. सभी सफल एसपीजी के द्वारा प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु आवश्यक 100 प्रतिशत पूंजी की व्यवस्था पीपीए साइन करने की तिथि से 5 माह में करनी होगी। इस संदर्भ में एसपीजी वित्तीय संस्थानों से प्राप्त स्वीकृति की प्रति आरआरईसी को उपलब्ध करवाएगा।

17. एसपीजी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेंजों तथा सूचना के गलत पाए जाने पर आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा आवेदक द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा।

18. सौर ऊर्जा के न्यूनतम उत्पादन में कमी:

i. एसपीजी को पीपीए अवधि के दौरान कम से कम 15 प्रतिशत वार्षिक Capacity Utilization Factor (CUF) बनाये रखना अनिवार्य होगा।

ii. सी यू एफ 15 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति में कमी के लिए एसपीजी द्वारा पीपीए में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति देनी होगी।

iii. विद्युत तंत्र (Grid) की अनुपलब्धता या एसपीजी के नियंत्रण से बाहर स्थिति होने पर इसमें शिथिलता दी जा सकेगी। Force Mejure की स्थितियों में क्षतिपूर्ति का प्रावधान लागू नहीं होगा।

iv. असाध्य परिस्थितियों के अतिरिक्त वितरण निगम को 95 प्रतिशत ग्रिड उपलब्धता बनाये रखनी होगी।

19. सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना की अवधि (Commissioning Period):

i. एसपीजी को सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु LOA जारी करने की तिथि के 9 माह की अवधि में चालू करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में प्रोजेक्ट चालू नहीं करने की स्थिति में पेनल्टी राशि को PBG में से PPA की शर्तो के अनुसार वसूल किया जाएगा।

ii. सौर ऊर्जा संयंत्र के LOA जारी होने की तिथि से 11 माह की अवधि तक स्वीकृत क्षमता चालू नहीं होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार पेनल्टी वसूल कर पीपीए में वर्णित क्षमता को स्थापित हुई क्षमता के बराबर संशोधित किया जायेगा।

20. व्यावसायिक संचालन तिथि (Commerical Operation Date-COD):

कमिशिंनग कमेटी द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने की वास्तविक तिथि को ही व्यावसायिक संचालन तिथि घोषित किया जायेगा।

21. वितरण निगमों को निष्पादन आधारित प्रोत्साहन (PBI):

वितरण निगमों को अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्रों से विद्युत खरीदने पर उनके निष्पादन (Performance) के आधार पर 40 पैसा प्रति यूनिट अथवा 6.6 लाख रूपए प्रति मेगावाट जो भी कम हो की दर से प्रोत्साहन राशि निम्न दस्तावेज MNRE में जमा करने पर मिलेगी–

- भूमि मालिक को समय से लीज राशि के भुगतान से संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो)।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों से खरीदी गई बिजली के नियमित मासिक भुगतान से संबंधित दस्तावेज।

22. हितधारकों के कार्य एवं दायित्व

एम एन आर ई (MNRE):

- एम एन आर ई द्वारा डिस्कॉम को सौर ऊर्जा प्लांट हेतु क्षमता आवंटन।
- एम एन आर ई द्वारा वितरण निगमों को पीबीआई उपलब्ध करना।

वितरण निगम एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगमः

- वितरण निगम द्वारा एम एन आर ई को क्षमता आवंटन हेतु पत्र लिखना।

- वितरण निगम द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट लगाने हेतु 33/11 केवी सब स्टेशन तथा उन पर उपलब्ध क्षमता को अधिसूचित करना।
- वितरण निगम अथवा उनके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादकों का चयन करना।
- वितरण निगम अथवा उनके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा सफल आवेदकों को LOA जारी करना तथा विद्युत क्रय अनुबंध साइन करना।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों को 'MUST RUN' स्टेटस प्रदान करना तथा संबंधित फीडर को दिन के समय अनिवार्य रूप से चालू रखना।
- सोलर प्लांट लीज की भूमि पर स्थापित होने की स्थिति में भूमि मालिक को समय से लीज राशि का भुगतान करना (यदि लागू हो)।

स्टेट नोडल एजेंसी:

कुसुम योजना के 'कंपोनेट–ए' के क्रियान्वयन हेतु वितरण निगम तथा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को अधिकृत किया गया है:

- सभी हित धारकों जैसे राज्य सरकार वितरण निगम राजस्थान ऊर्जा विकास निगम तथा सौर ऊर्जा उत्पादकों के बीच समन्वय बनाना।
- एसपीजी को प्रोजेक्ट संबंधित गतिविधियों जैसे डीपीआर, पीपीए, ईपीसी कांट्रैक्ट, वित्तीय संस्थानों से पूंजी की व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
- योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन तथा इसकी त्रैमासिक बैठकों का आयोजन करना।
- विज्ञापनों के माध्यम से योजना के बारे में लोगों में जागृति पैदा करना तथा योजना का क्रियान्वयन व निगरानी करना।
- प्रोजेक्ट के चालू होने के उपरांत SNA को 0.25 लाख प्रति मेगावाट मिलेंगे।

वित्तीय साध्यता का अनुमान

अ किसान द्वारा प्रोजेक्ट लगाने परः–

1	सौर ऊर्जा सयंत्र की क्षमता	–	1 मेगावाट
2	अनुमानित निवेश (सोलर प्लांट व 11 केवी लाइन व अन्य खर्चे सम्मलित करते हुये)	–	3.5 से 4.00 करोड़ रू प्रति मेगावाट
3	अनुमानित वार्षिक विद्युत उत्पादन	–	17 लाख यूनिट
4	अनुमानित टेरिफ (आरईआरसी के ड्राफट में प्रस्तावित दर)	–	3.14 रू प्रति यूनिट
5	कुल अनुमानित वार्षिक आय	–	53 लाख रू
6	अनुमानित वार्षिक खर्च	–	5 लाख रू
7	अनुमानित वार्षिक लाभ	–	48 लाख रू
8	25 वर्ष की अवधि में कुल अनुमानित आय	–	12 करोड़ रू

ब किसान द्वारा भूमि लीज पर देने परः–

1	1 मेगावाट हेतु भूमि की आवश्यकता	–	2 हैक्टेयर
2	प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन	–	17 लाख यूनिट
3	अनुमानित लीज रेन्ट (लीज रेन्ट की अनुमानित दर 10 पैसे से 20 पैसे प्रति युनिट के आधार पर)	–	1.70 लाख से 3.40 लाख

प्रपत्र–क

कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र

1.	**आवेदक का विवरण**	
i	**व्यक्तिगत किसान** नाम ,आधार कार्ड नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
ii	**किसानो का समूहः** समूह अथवा समूह के मुखिया नाम, सदस्यों की सूची, एंव रजिस्ट्रेशन की (प्रति संलग्न करें)	
iii	**सहकारीः समिति** सहकारी समिति का नाम, (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)	
iv	**पंचायतः** पचायत का नाम,	
v	**किसान उत्पादक संगठनः** संगठन का नाम, (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)	
vi	**जल उपभोक्ता संगठनः** संगठन का नाम, (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)	
vii	**विकासकर्ता** विकासकर्ता का नाम, (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)	
2.	**सम्पर्क विवरणः**	
i	पत्र व्यवहार का पताः	
ii	अधिकृत व्यक्ति का नाम, (अधिकृत करने का पत्र संलग्न करे)	
iii	मोबाईल नम्बरः	
iv	ई–मेंल आईडी	
3	**वितरण निगम द्वारा अधिसूचित किये गये 33केवी सबस्टेशन का विवरण जिनके 5 कि.मी की परिधी में भूमि उपलब्ध है।**	
i	वितरण निगम का नाम	
ii	जिलाः	
iii	पंचायत समिति	
iv	वितरण निगम के उप–खण्ड का नाम	
v	सब– स्टेशन का नाम	
vi	सोलर पावर प्रोजेक्ट हेतु घोषित क्षमता	
4	भूमि का विवरण	
i	ग्रामः	
ii	तहसील/पंचायत समिति	
iii	जिलाः	
iv	अ– खसरा न0 ————–क्षेत्र (हैक्टर / वर्गमीटर) ब– खसरा न0 ————–क्षेत्र (हैक्टर / वर्गमीटर) स– खसरा न0 ————–क्षेत्र (हैक्टर / वर्गमीटर) कुल क्षेत्रफल (हैक्टर / वर्गमीटर)————————————	

	कृपया जमाबंदी की कॉपी संलग्न करें	
5	**आवेदक द्वारा प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्लांट क्षमता (मेगावाट में)** **नोटः–**प्रस्तावित क्षमता 2 मेगावाट अथवा वितरण निगम द्वारा घोषित क्षमता में से जो भी कम हो, से अधिक नही होनी चाहिए।एक मेगावाट हेतु दो हैक्टर भूमि की आवश्यकता होती है।	
6	**डिस्कॉम द्वारा अधिसूचित सब–स्टेशन की प्रस्तावित भूमि से दूरी**	
7	**सोलर पावर प्लांट हेतु आवेदक के विकल्प** 1 स्वंय स्थापित करना चाहता है 2 भूमि लीज पर देना चाहता है।	

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम एंव पता
मोबाईल नम्बर